

2018/00141

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आप के द्वार 2018

अज अदालत.....उप जिला कलक्टर मुकाम रायसिंहनगर


सजना देवी की जमाबन्दी बनावत

उरकत

किस्म मुकदमा ..... 3/18

मुकदमा नं. 10/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तामील में जारी हुए
15-18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/ 15 दिनांक 1-5-18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आप के द्वार 2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>सिक्कावाली</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>59/18</u> की जमाबन्दी सम्वत् <u>2070-73</u> के खाता नं. <u>62</u> में खातेदार <u>सजना देवी पं० मंगलदास डफ मंगलदास</u> के <u>दुखाने का देह धारण</u> अंकित है। जिसका नाम <u>मंगलदास डफ मंगलदास</u> है। जिसकी <u>सजना देवी पं० मंगलदास के खाता नं 62 मंगलदास डफ मंगलदास</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशाषां की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक <u>11/5/18</u> की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>59/18</u> के खाता नं <u>62</u> में दर्ज खातेदार <u>सजना देवी पं० मंगलदास के खाता नं 62 मंगलदास डफ मंगलदास</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

  
 उप जिला कलक्टर  
 न्याय आप के द्वार 2018  
 कैम्प कोर्ट सिक्कावाली  
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर